सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 15.08.2025

चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 03 चोरों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के 03 सीलिंग फैन किट, पंखे की 09 पंखुडी, 01 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, 01 प्लास तथा 01 डीवीआर किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस **थाना भरथना पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध/अपराधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन मे दिनांक 14/15.08.2025 की रात्रि को थाना भरथना पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई जारपुरा जाने वाले रास्ते में खाकी नाला से पहले वन विभाग के जंगल में कुछ व्यक्ति बैठे हुये हैं जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये **थाना भरथना पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुये 03 व्यक्तियों को जारपुरा जाने वाले रोड पर खाकी नाले के पास वन विभाग के जंगल से पकड लिया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो अभियुक्तगण विशाल यादव पुत्र नरायन सिंह उर्फ पदम, राहुल उर्फ हैप्पी पुत्र स्व0 रघुराज सिंह, अनुराग सक्सेना उर्फ अडमू पुत्र श्यामकिशोर के कब्जे से **01 प्लास, पंखे की 09 पण्खुडी 03 सीलिंग फैन किट, 01 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी, 01 डीवीआऱ** बरामद हुये। कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि यह सभी सामान हम लोगो ने दिनांक 31/01.08.2025 की रात्रि में वंशियापुरा सरकारी स्कूल से चोरी किया था। कुछ सामान हम लोगो ने राह चलते व्यक्तियो को ओने पौने दामों में बेच दिया था और सामान बेचकर मिले रुपयों आपस में बांट लिये थे जिनको हम लोगों ने खर्च कर लिया है।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना भरथना पर पंजीकृत अभियोग **मु0अ0सं0 240/2025 धारा 305 बीएनएस मे धारा 305E बीएनएस परिवर्तित तथा धारा 317(2) बीएनएस** की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विशाल यादव पुत्र नरायन सिंह उर्फ पदम सिंह निवासी ग्राम जारपुरा थाना भरथना जनपद इटावा **उम्र 22 वर्ष।**
2. राहुल उर्फ हैप्पी पुत्र स्व0 रघुराज सिंह निवासी ग्राम जारपुरा थाना भरथना जनपद इटावा **उम्र करीव 23 वर्ष।**
3. अनुराग सक्सेना उर्फ अडमू पुत्र श्यामकिशोर निवासी ग्राम जारपुरा थाना भरथना जनपद इटावा **उम्र करीब 25 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 240/2025 धारा 305E /317(2) बीएनएस थाना भरथना जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी
2. 03 सीलिंग फैन किट
3. 09 पखुंडी पंखो की
4. 01 प्लास
5. 01 डीवीआर CP PLUS

पुलिस टीमः- प्र0निरी0 श्री विक्रम सिंह थाना भरथना, उ0नि0 सुमेश चन्द्र, उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, हे0का0 उपदेश कुमार व हे0का0 इन्द्रीश।